

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख जारी हुए
29/7/25	पत्रावली पेशा हुई वकील प्राची उपरिषत्। विपरीतगण को रजिल इसी बातगूद रजिलके कोई उपरिषत् नहीं हुए न ही इनकी औरसे मित्रों ने उपरिषत् की गई। इनके मित्रों एक पक्षीय मायनाही का दावेसा दिया जाता है। पत्रावली वरते बहस में दिनांक 31-7-25 को पेश हो।	
31/7/25	पत्रावली पेशा हुई वकील उपरिषत्। वकील प्राचीने बहस हेतु अवसर माय जो दिया गया पत्रावली वरते बहस में दिनांक 31/7/25 को पेश हो।	
4/8/25	पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राची उपरिषत्। वकील प्राची को एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्राचीगण ने बहस में कथन दिया गया कि प्राचीय पत्र में वर्णित अपराधियात प्राचीगण की पैतृक पुस्तकी को होने से प्राचीगण के एक अधिकार भूलवाद में 'हय' होने एक एक के लिए अस्थायी निवेदाणा के स्वरूपन अद्वैत को कन्फर्म किया जाये। इस पत्र पत्रावली को अवलोकन किया गया अवलोकन पत्रावली प्राचीगण का प्राचीय पत्र अन्तर्गत धारा 212 अरु सीन्ड का स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूरा में पुस्तक अस्थायी निवेदाणा के स्वरूपन अद्वैत दिनांक 16-6-2025 को कन्फर्म किया जाता है। मित्रों सुधे व्यापलय में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली पेशा वरता वकील नम्बर से कम हो।	

29/07/25

31/07/25

04/09/25

उपखण्ड अधिकारी
इंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

